



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245699
CG-DL-E-04052023-245699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1994]
No. 1994]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2082(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH130CD के किमी. 76.800 किमी. से 77.150 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH130CD तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं सक्षम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	छत्तीसगढ़	धमतरी	बेलरगांव	1 कुकरीकोन्हा (वन ग्राम)

	प्राधिकारी भूअर्जन नगरी (	NH130CD के कि.मी. 62.35 से 78.08 तक			
--	---------------------------------	--	--	--	--

[फा. सं. PD/DMT/Rai-Vish/LA]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2082(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 76.800 to Km. 77.150 of the NH130CD for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of CHHATTISGARH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH130CD in the State of CHHATTISGARH.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer (Rev.) & Competent Authority Land Acquisition Nagri (	62.35KM To 78.08KM	CHHATTISGARH	DHAMTARI	Belargaon	1 Kukarikonha (Forest Village)

[F. No. PD/DMT/Rai-Vish/LA]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.